



उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. RAJAYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

(A U.P. GOVERNMENT UNDERTAKING)

8th Floor, Shakti Bhawan Extn, Lucknow.

Phone No.0522-2287838, Fax No.0522-2287191

पत्रांक 159/उ०नि०लि०/नि०(वित्त)/शिविर

दिनांक : 01 जुलाई, 2010

कार्यालय ज्ञाप

यह परिलक्षित हुआ है कि परियोजनाओं पर अनुरक्षण एवं परिचालन मद में दायित्व सृजन को नियंत्रित किये जाने हेतु पर्याप्त सकारात्मक कदम नहीं उठाये जा रहे हैं तथा समय समय पर अनुरक्षण एवं परिचालन मद में विशेष निधि माँग पत्र मुख्यालय को प्रेषित कर दिये जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय नियंत्रण में कठिनाई अनुभव होती है।

एतद्वारा संलग्न तालिकानुसार परियोजनाओं के अनुरक्षण एवं परिचालन मद में व्यय की अधिकतम वार्षिक धनराशि निर्धारित की जाती है जिसके सापेक्ष ही वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 के आगामी नौ माहों में निधि निर्गमन की जायेगी तथा उसके आधार पर वित्तीय वर्ष 2011-12 की प्रस्तावित मासिक राशि भी निर्धारित की जा रही है। निम्न आवंटन के अतिरिक्त अनुरक्षण एवं परिचालन मद में कोई विशेष निधि की माँग स्वीकार नहीं की जायेगी।

(रु० करोड़ में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	वर्ष 2010-11 में माह जुलाई, 2010 से मार्च, 2011 हेतु मासिक आवंटन	वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु मासिक आवंटन
1.	अनपरा 'अ'	2.02	2.03
2.	अनपरा 'ब'	2.43	2.44
	योग:	4.45	4.47
3.	ओबरा	4.08	3.86
	योग:	4.08	3.86
4.	पारीछा 2x110 MW	1.29	1.31
5.	पारीछा 2x210 MW	1.62	1.63
	योग:	2.91	2.94
6.	पनकी	1.33	1.30
7.	हरदुआगंज	1.38	1.40
	कुल योग:	14.15	13.97

- क) उक्त मासिक आवंटन के विरुद्ध धनराशि प्रत्येक माह दो समान किश्तों में अवमुक्त की जायेगी।
- ख) परियोजना प्रमुख एवं लेखा प्रमुख का यह संयुक्त उत्तरदायित्व होगा कि परिचालन एवं अनुरक्षण मद में दायित्वों का सृजन अधिकतम वार्षिक आवंटन की सीमा तक ही करें। परिचालन एवं अनुरक्षण मद में उक्त आवंटन के अतिरिक्त धनराशि निर्गत नहीं की जायेगी। अतएव निगम मुख्यालय को कोई विशेष निधि माँग परियोजना से प्रेषित न की जाये।
- ग) मेसर्स बी०एच०ई०एल० एवं मेसर्स आई०एल० कोटा के परिचालन एवं अनुरक्षण मद के दायित्वों के विरुद्ध धनराशि अलग से निर्गत की जायेगी।
- घ) जिन परियोजनाओं की परफारमेंस उ०प्र० राज्य विद्युत नियामक आयोग के मानकों के सापेक्ष अपेक्षाकृत काफी कम है वहाँ पर अतिकाल अनुमन्य नहीं किया जायेगा।
- ड.) यह परिकल्पित है कि धनराशि के मासिक आवंटन में वृद्धि किये जाने से परियोजना स्तर पर ओ० एण्ड एम० कार्यों एवं ठेकेदारों के भुगतान हेतु पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता के दृष्टिगत मशीनों के रख-रखाव में सुधार आयेगा एवं परियोजना स्तर पर अन्तिम किये जा रहे अनुबन्धों में परियोजना द्वारा दृढ़ता से निगोसियेशन किए जा सकेंगे, एवं अनुबन्धों के कुल मूल्य में भी कमी आयेगी।



उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. RAJAYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
(A U.P. GOVERNMENT UNDERTAKING)
8th Floor, Shakti Bhawan Extn, Lucknow.
Phone No.0522-2287838, Fax No.0522-2287191

च) किसी उत्पादन इकाई के दीर्घकाल आर०एण्डएम० में बंद करने पर मासिक ओ०एण्डएम० धनराशि में कटौती भी की जायेगी।

इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।


संलग्नक: यथोपरि।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 159/उ०नि०लि०/नि०(वि०)/शिविर तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ०नि०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (तकनीकी), उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त) के निजी सचिव, उ०नि०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/II), पी०पी०एम०एम०/तापीय परिचालन/ईंधन/वाणिज्य/मानव संसाधन/जानपद/आर० एण्ड एम०/पर्यावरण सुरक्षा, उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय के साथ कि अनुरक्षण एवं परिचालन मद में कोई विशेष निधि मांग पत्र स्वीकार न किये जायें।
5. महाप्रबन्धक (लेखा/सम्प्रेक्षा), उ०नि०लि०, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (स्तर 1/II), अनपरा/ओबरा/ पनकी /पारीछा/ हरदुआगंज तापीय परियोजना, अनपरा (सोनभद्र)/ओबरा(सोनभद्र)/पनकी (कानपुर)/पारीछा(झॉंसी)/हरदुआगंज (अलीगढ़) को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निर्धारित सीमा में अनुरक्षण एवं परिचालन व्यय नियंत्रित रखें तथा इस मद में विशेष निधि मांग पत्र न प्रस्तुत किया जाये।
7. कम्पनी सचिव, उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (वि० एवं ले०)/ उप मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, अनपरा 'अ' एवं 'ब'/ओबरा 'अ' एवं 'ब'/ पनकी /पारीछा/ हरदुआगंज तापीय परियोजना, अनपरा (सोनभद्र)/ओबरा(सोनभद्र)/पनकी (कानपुर)/पारीछा(झॉंसी)/हरदुआगंज (अलीगढ़)।
9. मुख्य प्रबन्धक (वि० एवं ले०), उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी (वित्त), उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।


(ए० के० अग्रवाल)
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)

उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

माह जुलाई 2010 से मार्च 2011 तक निर्गत होने वाली राशि एवं वर्ष 2011-12 की अनुरक्षण एवं परिचालन राशि का आँकलन विवरण

(रु० करोड़ में)

परियोजना का नाम	कार्यालय ज्ञाप सं० 306 दि. 17.11.09 द्वारा निर्धारित वर्तमान मासिक अनुरक्षण एवं परिचालन राशि	कार्यालय ज्ञाप सं० 306 दि. 17.11.09 के अनुसार वार्षिक अनुरक्षण एवं परिचालन राशि	अनुरक्षण एवं परिचालन निधि पुनरीक्षण पर निर्धारित अधिकतम अनुरक्षण एवं परिचालन राशि वर्ष 2010-11 हेतु	माह अप्रैल 2010 से माह जून 2010 तक निर्गत अनुरक्षण एवं परिचालन राशि	अवशेष राशि जो माह जुलाई 2010 से मार्च 2011 तक निर्गत होनी है। (4-5)	माह जुलाई 2010 से मार्च 2011 हेतु मासिक किशत का निर्धारण (6-9)	वर्ष 2011-12 हेतु मासिक राशि का निर्धारण (4-12)
1	2	3	4	5	6	7	8
अनपरा 'अ'	1.70	20.40	53.57	6.88	40.02	2.02	2.03
अनपरा 'ब'	2.04	24.48		6.67		2.43	2.44
योग	3.74	44.88	53.57	13.55	40.02	4.45	4.47
ओबरा	2.84	34.08	46.32	9.59	36.73	4.08	3.86
योग	2.84	34.08	46.32	9.59	36.73	4.08	3.86
परीछा 2X110 मे.वा.	1.04	12.48	35.28	9.09	26.19	1.29	1.31
परीछा 2X210 मे.वा.	1.30	15.60				1.62	1.63
योग	2.34	28.08	35.28	9.09	26.19	2.91	2.94
पनकी	1.04	12.48	15.63	3.71	11.92	1.33	1.30
हरदुआगंज	1.04	12.48	16.85	4.48	12.37	1.38	1.40
कुल योग	11.00	132.00	167.65	40.42	127.23	14.15	13.97

Suby